फर्द अहकाम

भरती बनाम नाथू कोरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

केस संख्या 59/2016 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17-10-19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र आपत्ति कुर्रेजात व प्रा०पत्र O.14 R.1 सहपठित धारा 151 CPC खारिज कर दावा मुताबिक के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अन्तिम डिक्री किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर नियम से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 99/2016

उनवान

1. महावीर
2. मामराज

पुत्रान् स्व. भैरूराम जाति जाट निवासी ढाणी अठकूडी ग्राम टोडी तह. शाहुपरा जिला जयपुर — **वादीगण**

बनाम

1. नाथू पुत्र बोदूराम
2. हरफुल
3. श्योदान
4. पप्पु
5. महावीर
6. रोहताश
7. मुकेश

(सं. 2 से 7) पुत्रान् नाथूराम

8. कृष्ण कुमार पुत्र हरफूल
9. राहुल पुत्र श्योदान
10. भंवरी देवी पत्नी नाथूराम
11 सरोज देवी पत्नी हरफूल
12 गुलाब देवी पत्नी श्योदान
13 सूरजी देवी पत्नी पप्पू

समस्त जाति जाट नि. अठकूडी ग्राम टोडी तह. शाहुपरा जिला जयपुर।

14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा। — **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 17-10-2019

दावा वादीगण संक्षेप में निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 6135 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम टोडी तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी का हिस्सा 1/2 भाग वादीगण ने खातेदार मालीराम पुत्र बोदूराम जाट निवासी ढाणी अठकूडी ग्राम टोडी तह0 शाहपुरा जयपुर से दिनांक 24.02.2016 को जरिए विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 व शेष 1/2 भाग प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त खातेदार है। प्रतिवादी सं. 1 अपने साथ अपने बेटों पोतों पुत्रवधुओं प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 के साथ अपराधिक संगठन रचकर दिनांक 04.06.2016 को वादीगण के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि से 05 टीकर (बवूल) के पेड़ो की छडिया, लूंम पातड़ी कीमतन 5000 के जबरन काट ले गये। वादी सं. 1 को पता चलने पर जब मना किया तो प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 13 जान से मारने पर अमादा हो गये। एलानियां धमकी दी कि वादीगण को काश्त नहीं करने देंगें, वादीगण को जबरन बेदखल कर देंगें। वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में शामील में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिक बंटवारा करवाया जाना जरूरी हो गया है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 6135 रकबा 0.39 है0 का विधि सम्मत सरस–नरस से विभाजन का अलग–अलग लगान निर्धारित कर निर्णय डिक्री फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 13 को हमेशा– हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि पर किसी प्रकार मदालखत पैदा नहीं करे तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 की ओर से श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता उपस्थित दिनांक 06.04.2017 को वकील प्रतिवादी 1 लगा 13 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. पेश किया। जिसका वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी0 का जवाब पेश करने पर उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 06.10.2017 को प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. खारिज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 06.10.2017 प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 11.06.2018 को प्रकरण में बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कुर्रेजात व जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत वाद में मुन्तकिल प्रा0पत्र पेश हुआ। दिनांक 20.12.2018 को वकील प्रतिवादी ने प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10(2) धारा 151 सीपीसी0 पेश किया जिसका वकील वादी द्वारा दिनांक 24.12.2018 को जवाब पेश किया गया। जिस पर वकील

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष को सुनकर विधिवत प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी0 दिनांक 14.3.2019 को खारिज किया गया। दिनांक 20.06.2019 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसकी विधिवत सुनवाई करते हुए 24.06.2019 को प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. खारिज किया गया। दिनांक 11.07.2019 को प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पुनः मुन्तकिल प्रा0पत्र पेश किया गया। माननीय जिला कलक्टर महोदय जयपुर के द्वारा दिनांक 13.08.2019 को मुत्तकिल प्रा0पत्र खारिज किया गया। दिनांक 19.09.2019 को आपत्ति बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में प्रा0पत्र बाबत कायम किए जाने विवाद्यक अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी0 पेश किया गया।

वकील प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रेजात में खातेदार मालीराम की लड़की मिन्दू देवी जो पैतृक भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रखा है। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। कुर्रेजात रिपोर्ट बिना सूचना दिए एक पक्षीय रूप से मौका स्थिति के विपरित तैयार की गई है। वकील वादीगण ने आपत्ति कुर्रेजात के जवाब में प्रतिवादी सं. 1 के गलत झूठे तथ्य अंकित किए है। वादीगण ने वादग्रस्त का हिस्सा 1/2 भाग से जरिये रजिस्टर्ड खरीद की है, मिन्दू देवी ने आ.ख.नं. 6135 रकबा 0.39 है0 का हिस्सा 1/2 भाग मालीराम से प्राप्त में कोई हिस्सा एवं अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के उक्त आपत्ति कुर्रेजात के सम्बन्ध में विधिवत सुना जाकर प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सीपीसी0 दिनांक 14.3.2019 को खारिज किया गया है।

दिनांक 19.09.2019 को आपत्ति बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में प्रा0पत्र बाबत कायम किए जाने विवाद्यक अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी0 पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया । चूंकि प्रश्नागत प्रकरण में हमारे समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद उनवानी मिन्दू देवी बनाम मालीराम वगैरह इस बंटवारे के सम्बन्ध में विचारनीय नही है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2019 को प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 151 सीपीसी0 पूर्व में ही खारिज हो चुका है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा सही तैयार की गई है। चूंकि प्रकरण मे मिन्दु को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 घारा 151 सीपीसी पूर्व मे विधिवत सुनवाई की जाकर खारिज किया जा चुका है तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अब प्रार्थना पत्र प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी0 पेश करने से भी जाहिर है कि प्रकरण का अनावश्यक विलम्ब करने हेतु प्रार्थना पत्र ेश किया गया है चूंकि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होकर कुर्रेजात रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है । अतः प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात बटवारा रिपोर्ट व अन्तर्गत आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी0 खारिज किया जाता है। वादीगण 1 व 2 के द्वारा दिनांक 27.04.2018 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आ.ख.न. 6135 रकबा 0.39 है0 मे से हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण सुभाषचन्द पुत्र लक्ष्मण जाट को बेचान कर दिया है तथा अब वादीगण के स्थान पर कुर्रेजात रिपोर्ट में केता सुभाषचन्द पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी टोडी के पक्ष में प्राप्त होने से वादी के स्थान पर उक्त केता को खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख. नं. 6135 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम टोड़ी तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. आ.ख.नं. 6135/1 रकबा 0.1950 है0 भूमि नाथू पुत्र बोदूराम जाट सा.देह रहिन SBBJ शाखा मनोहरपुर के हिस्से में रहेगी।

2. आ.ख.नं. 6135/2 रकबा 0.1950 है0 भूमि सुभाषचन्द पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी टोडी के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-10-2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 99/2016

उनवान

1. महावीर ⎫ पुत्रान् स्व. भैरूराम जाट निवासी ढाणी अठकूडी ग्राम टोडी
2. मामराज ⎭ तह. शाहपुरा जिला जयपुर — **वादीगण**

बनाम

1. नाथू पुत्र बोदूराम
2. हरफूल ⎫
3. श्योदान ⎪
4. पप्पु ⎪ पुत्रान् नाथूराम
5. महावीर ⎪
6. रोहताश ⎪
7. मुकेश ⎭
8. कृष्ण कुमार पुत्र हरफूल
9. राहुल पुत्र श्योदान
10. भंवरी देवी पत्नी नाथूराम
11 सरोज देवी पत्नी हरफूल
12 गुलाब देवी पत्नी श्योदान
13 सूरजी देवी पत्नी पप्पू

समस्त जाति जाट नि. अठकूडी ग्राम टोडी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा। — **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए</u>

आदेश दिनांक 17-10-2019

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख. नं. 6135 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम टोड़ी तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. आ.ख.नं. 6135/1 रकबा 0.1950 है0 भूमि नाथू पुत्र बोदूराम जाट सा.देह रहिन SBBJ शाखा मनोहरपुर के हिस्से में रहेगी।
2. आ.ख.नं. 6135/2 रकबा 0.1950 है0 भूमि सुभाषचन्द पुत्र लक्ष्मण जाट निवासी टोडी के हिस्से में रहेगी।
तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें

निर्णय आज दिनांक 17-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner